न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 30/2021

अपीलांट –

मांगीदेवी पुत्री मुकनाराम पत्नी
करनाराम जाति जाट निवासी बोड़वा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. मीरो पुत्री मुकनाराम पत्नी गोमाराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर
3. जेठी पुत्री मुकनाराम पत्नी मगाराम जाति जाट निवासी सेतराउ तहसील रामसर जिला बाड़मेर
4. खेमाराम पुत्र मुकनाराम
5. तेजाराम पुत्र मुकनाराम
6. श्रीमती पनी पत्नी धर्माराम
7. रामू पुत्री धर्माराम
8. शेरू पुत्री मुकनाराम
9. रामाराम पुत्र मुकनाराम

जाति जाट निवासी घोनरी नाडी
तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 294 जो दिनांक 02.04.2018 को नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2से5, 8व9 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. अवशेष रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 19.10.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम घोनरी नाडी के नामान्तरकरण सं. 294 पर नायब तहसीलदार

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वितीय बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 02.04.2018 के विरूद्ध दिनांक 03.08.2021 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा घोनरी नाडी के खसरा नम्बर 136 रकबा 91–00, खसरा नम्बर 166 रकबा 00–04 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 109–00 बीघा भूमि के बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद सं. 120/2014 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 द्वारा पक्षकारान का हिस्सा खातेदारी घोषित किये गये। हल्का पटवारी रावतसर द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 की पालना में सहमति बंटवाडा का नामान्तरकरण सं. 583 दिनांक 17.06.2016 की पालना में नामान्तरकरण सं. 294 दायर कर नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे आदेश दिनांक 02.04.2018 को स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट ने नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर के उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2से9 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा घोनरी नाडी (रावतसर) में खसरा नम्बर 136 रकबा 91–00 बीघा, खसरा नम्बर 166 रकबा 00–04 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 109–00 बीघा आई हुई हैं। उक्त खातेदारी भूमि में रेस्पो0 सं. 2 व 3 द्वारा खातेदारी घोषणा का एक वाद सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जो सुनवाई उपरांत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2016 को निर्णित किया गया। उक्त निर्णय में रेस्पो0 ... /8–1/8 हिस्सा घोषित कर शेष खातेदारान का वंश वृक्ष में दर्शित अनुसार सभी का 3/4 हिस्सा घोषित किया गया। हल्का पटवारी द्वारा उक्त निर्णय माफिक अपीलांट मांगी देवी जो सहखातेदार होते हुए भी नामान्तरकरण सं. 294

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अंकित नहीं किया गया। इस गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर ने भी अपीलांट को सुनवाई किये बिना ही दिनांक 02.04.2018 को स्वीकृत कर दिया। इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट के हितो के विपरित होने अवैध एवं खारिज योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि इस वर्ष अपीलांट ने ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया जो बताया कि अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हैं। इस पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन दिनांक 16.04.2021 को प्रस्तुत किया तथा दिनांक 12.07.2021 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अंदर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किये जांने का निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 व 8 से 9 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में दायर कर स्वीकृत किया गया है। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश में त्रुटिवश अपीलांट का नाम अंकित होने से रह गया है, जो अब सम्मिलित किया जाता हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 294 न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद सं. 120/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 की पालना के क्रम में हल्का पटवारी द्वारा दायर किया गया हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि मूल आदेश एवं [illegible] जा घोनरी नाडी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा [illegible], खसरा नम्बर 166 रकबा 00–04 बीघा, खसरा [illegible] 109–00 बीघा में वादीनी सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादीनी सं. 2 का 1/[illegible] हिस्सा तथा जमाबन्दी में अंकित शेष खातेदार का 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर (माफिक वंश वृक्षावली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी घोषित किया गया है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 294 के अनुसार उक्त भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण पारित किया गया है। इस प्रकार जो नाम जमाबन्दी में खातेदारी में शामिल रहे हैं उनमे से सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अनुसार की इन्द्राज किया गया है। अपीलांट का नाम जमाबन्दी में सहखातेदार के रूप में सम्मिलित नहीं होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण में भी अंकित नहीं किया गया हैं। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल निर्णय एवं डिक्री में यदि कोई त्रुटि रह गई हैं तो उसका समाधान इस नामान्तरकरण अपील द्वारा नहीं किया जा सकता हैं तथा इसके लिये अपीलांट पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया गया हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:21 IST
Reason: SelfAttested